FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

रमेश बनाम श्रीमती कंचन

मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 212 नं. 36/2025 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सोलंकी ने विरूद्व विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जावे । पत्रावली देख तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक. 30/7/25 को पेश हो [signature] 3/06/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला	
30/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री महेश व्यास अधिवक्ता ने उपस्थिति दी गई विपक्षी श्री स्वयं उपस्थित हुए। प्रार्थी एवं विपक्षीगण को सुना गया। विपक्षीगण ने प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की मूल वाद के निस्तारण होने तक स्थगन आदेश हेतु सहमत है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या [illegible] खाता संख्या 74 में वर्णित आराजी नम्बर [illegible] आ.या. 823 आ.या. एवं आराजी नम्बर [illegible] भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसमे प्रार्थी का 1/5 का हिस्सा। [signature] उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	स्थगन से सहमत हूँ U.T. 1 व 2 महेश [signature] जगन्नाथ [thumb impression] नि. जगन्नाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.13 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा
	दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी की है जिसका विधि अनुसार कोई विभाजन नहीं हुआ है इसलिए खाता संख्या 75 में वर्णित आराजियात की मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान बाधा पैदा नहीं करे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.13 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner